न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मयंक मनीष, I.A.S.
राजस्व वाद संख्या : **119/18 (वाद)**
GCMS No. : 2018/00308

1. श्री खुमाणचन्द पिता वरदीचन्द महाजन, पोखरना निवासी महाराज की खेडी हाल अरिहन्त कॉलोनी हिरणमगरी सेक्टर नम्बर 4 उदयपुर।

............वादी

बनाम्

1. श्रीमती सज्जनबाई बेवा भगवतीलाल ब्राहम्ण (गौड) निवासी घासा तह. मावली।
2. भूमिधारी जरिये तहसीदार मावली, जिला उदयपुर।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री अशोक सेन, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 05.04.2021

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम घासा पटवार हल्का घासा की आराजी संख्या 3433 रकबा 6 बिस्वा भूमि स्थित होकर वर्तमान में राजस्व विलेख में प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर हक हिस्से से दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजी की भूमि में से प्रतिवादीयां सं. 1 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्से की भूमि को वादी को 3501/– अक्षरे तीन हजार पांच सौ रूपये में बिकाव कर बिकावनामा वादी के पक्ष में विक्रय प्रतिफल की राशि प्राप्त कर बिकावनामा वादी के पक्ष में निष्पादित कर दिया तथा बिकावनामें का पंजीयन उपपंजीयक मावली में दिनांक 30.11.1978 को करा दिया तब से वादी अपने खरीदे गये हिस्से की सम्पूर्ण भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं।
2. यह कि कथित बिकावनामें के आधार पर वादग्रस्त भूमि को राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने वादी के नाम पर दर्ज नहीं की जिस वजह से वादी के हक व अधिकारों पर विपरित असर पड रहा हैं। इसलिए वादी कथित बिकावनामें के आधार पर वादग्रस्त भूमि में से खरीदे गये हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को अपने नाम पर खातेदारी में दर्ज कराने की घोषणा का कानूनन अधिकारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.23 13:25:14 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि वादग्रस्त भूमि पर वादी खरीद से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। वादी ने कथित विक्रय पत्र की फोटो प्रति राजस्व कर्मचारियों को खरीदी गई भूमि उनके नाम पर बिकावनामें के आधार पर नामान्तरित करने हेतु दी थी। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने भूमि वादी के नाम पर नामान्तरित नहीं करी वादी को वादग्रस्त भूमि की खाते की नकल का जरूरत हुई। तो यह जानकारी हुई कि वादग्रस्त भूमि वादी के नाम पर कथित बिकावनामें के आधार पर नामान्तरित नहीं हुई हैं।

4. यह कि वाद कारण अन्तिम बार दिनांक 16.05.2018 उत्पन्न हुआ जब वादी ने हल्का पटवारी घासा से खाते की नकल प्राप्त की तो वादी को जानकारी हुई की वादग्रस्त भूमि कथित बिकावनामें से राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित नहीं हुई है उसके बाद वादी ने प्रतिवादीगण को कहा तो उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वाद कारण विरूद्व प्रतिवादीगण जारी हैं।

5. अतः श्रीमान् न्यायालय से प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावें कि वाद में वर्णित आराजी नम्बर 3433 में वादी को हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें तद्नुसार राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी सं. 1 का नाम उसके सम्पूर्ण हिस्से से हटाया जाकर वादी का नाम दर्ज फरमाया जावें।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 औपचारिक पक्षकार होने से जबाव नहीं देना चाहा। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव घासा पटवार हल्का घासा में स्थित आराजी नम्बर 3433 रकबा 6 बिस्वा भूमि का होना स्वीकार है और उक्त आराजी मुझ प्रतिवादी के नाम पर अंकित होना स्वीकार हैं। उक्त वर्णित भूमि को मुझ प्रतिवादी संख्या 1 सज्जनबाई ने वादी खुमाणचन्द महाजन को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.11.1978 को बिल एवज रूपया 3501/- तीन हजार पांच सौ एक रूपया में विक्रय कर मौके पर कब्जा सिपूर्द कर दिया था। जिसके बाद में उक्त भूमि पर वादी ही काबिज हो इसी के उपयोग उपभोग में हैं।

7. यह कि मुझ प्रतिवादीयां द्वारा उक्त भूमि विक्रय करने के बाद से ही उक्त भूमि पर वादी का हक हिस्सा व मौके पर कब्जा सौंप दिया था। अतः श्रीमान् से

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.23 13:25:14 IST
Reason: SelfAttested

निवेदन हैं कि यदि उक्त भूमि वादी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित की जावे तो उसमें मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को कोई उजर ऐतराज नहीं हैं।

8. प्रकरण में स्वीकारात्मक जवाब होने से वादी की साक्ष्य प्रारम्भ की गई। वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी गवाह पीडब्ल्यू 1 श्री खुमाणचन्द पिता वरदीचन्द पेश किया। वादी द्वारा दस्तावेज रजिस्ट्री की नकल प्रदर्श 1ए, जमाबन्दी की नकल प्रदर्श 2, पुरानी खसरा नकल प्रदर्श 3 व 4 पेश किये।

9. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब होने से वादी के वाद को स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

10. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 सज्जनबाई के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है जिसकी जमाबन्दी दस्तावेज प्रदर्श 2 हैं। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि को 3501/– रूपये में वादी खुमाण चन्द पिता वरदीचन्द महाजन को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.11.78 से भूमि विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया, जिसका दस्तावेज विक्रय पत्र प्रदर्श 1ए हैं। भूमि वादी के नाम पर नहीं होने से घोषणा का वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर विक्रय पत्र की ताईद करते हुए विक्रय पत्र के आधार पर भूमि वादी के नाम दर्ज करने पर कोई आपत्ति नहीं की हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में भी वादी ने भूमि पर क्रय दिनांक से अब तक लगातार कब्जा चला आना बताया हैं। नामान्तरकरण नहीं होने से भूमि नाम पर दर्ज नहीं हो पाई हैं। प्रकरण मे खातेदार सज्जनबाई ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि वादी को विक्रय कर दी हैं। भूमि विक्रय कर देने से अब उक्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का कोई हक अधिकार नहीं रह जाता हैं। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा भी भूमि वादी के नाम पर दर्ज करने पर सहमति व्यक्त की हैं। अतः वादी का वाद आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.23 13:25:14 IST
Reason: SelfAttested

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा की आराजी नम्बर 3433 रकबा 6 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 सज्जनबाई के बजाय वादी खुमाणचन्द पिता वरदीचन्द महाजन, पोखरना को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.23 13:25:14 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास मयंक मनीष, आई.ए.एस.

उनवान्

1. श्री खुमाणचन्द पिता वरदीचन्द महाजन, पोखरना निवासी महाराज की खेडी हाल अरिहन्त कॉलोनी हिरणमगरी सेक्टर नम्बर 4 उदयपुर।

.....वादी

बनाम्

1. श्रीमती सज्जनबाई बेवा भगवतीलाल ब्राहम्ण (गौड) निवासी घासा तह. मावली।
2. भूमिधारी जरिये तहसीदार मावली, जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 119/18 (वाद) GCMS No. : 2018/00308

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मंयक मनीष I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा की आराजी नम्बर 3433 रकबा 6 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 सज्जनबाई के बजाय वादी खुमाणचन्द पिता वरदीचन्द महाजन, पोखरना को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05.04.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.23 13:25:14 IST
Reason: SelfAttested